रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 1972/माघ 1, 1893
No. 38] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 1972/MAGHA 1, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 1972

S.O. 49(E).—In pursuance of the provisions contained in sub-section (1) of section 13AA of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission, in consultation with the State Government, hereby designates the Deputy Commissioner of each of the Districts in the State of Manipur as the District Election Officer for his district.

[No. 508/MR/72.]

By Order,
A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

एस० ओ० 49(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13कक की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से, मणिपुर राज्य में के प्रत्येक जिले के उपायुक्त को, उसके जिले के लिए जिला निर्वाचन आफिसर के रूप में, एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 508/मणि/72]

आदेश से,
ए० एन० सेन,
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।